श की कम ख्या और रीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई मे टिप्पणी तारीख के साथ
/1/2015	**सारण समाहरणालय, छपरा।** **न्यायालय जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा** **जिला विधि प्रशाखा** **आपूर्त्ति अपील संख्या 77/11** **प्रभुनाथ साह बनाम बिहार सरकार (अनुमंडल पदाधिकारी, सोनपुर) एवं अन्य** **आदेश** संदर्भित अपील आवेदन अनुमंडल पदाधिकारी, सोनपुर के आदेश ज्ञापांक 799 दिनांक 30.9.11 के विरूद्ध दायर किया गया है। दायर अपील वाद की सुनवाई की गयी। वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि दिनांक 8.9.11 को प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, दरियापुर के द्वारा प्रभुनाथ साह, जन वितरण प्रणाली विकेता, ग्राम पंचायत राज परमानन्दपुर, सोनपुर की दूकान की जॉच की गयी। जॉच के क्रम में निम्नांकित अनियमितताएँ पायी गयी: 1. पीला कूपन पर 25 किलो अनाज देते हैं, जिसका मूल्य 105 रूपया लेते हैं। 2. उपभोक्ताओं के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है। 3. लाल कार्ड पर 20 किलो अनाज दिया जाता है, जिसका मूल्य 160 रूपया लिया जाता है। उक्त अनियमितताओं के लिए अनुमंडल पदाधिकारी, सोनपुर के ज्ञापांक 702/आपूर्ति दिनांक 9.9.11 के द्वारा विकेता से स्पष्टीकरण पूछा गया। विकेता द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। विकेता के द्वारा प्रस्तुत जवाब को असंतोषजनक पाते हुए	

अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा विकेता की अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया गया।

अनुज्ञप्ति रद्द करने संबंधी प्रश्नगत आदेश को चुनौती देते हुए उपस्थित अपीलकर्त्ता के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बतलाया गया कि दिनांक 8.9.11 को जॉच पदाधिकारी के द्वारा विकेता की उपस्थिति में दूकान की जॉच की गयी। जिन उपभोक्ताओं के द्वारा विकेता के विरूद्व बयान दर्ज कराया गया, वह बिल्कुल राजनीति से ग्रसित है। इसके संबंध में पुनः उन्हीं उपभोक्ताओं के द्वारा शपथ पत्र के साथ विकेता को आरोपमुक्त करने का अनुरोध किया गया है। बयान पंजी में जो विकेता के उपभोक्ता नहीं हैं, उनके द्वारा भी दबाव में आकर बयान दिया गया है, जिनका शपथ पत्र भी विकेता के द्वारा अपने जवाब के साथ संलग्न किया गया है। विकेता के विरूद्व उपभोक्ताओं के साथ किए जाने वाले दुर्व्यवहार से संबंधित शिकायत बिल्कुल राजनीति से प्रेरित एवं निराधार है। विकेता के द्वारा प्रत्येक महीने राशन–किरासन का उठाव कर सही समय पर उपभोक्ताओं को सूचित कर उसका वितरण स्थानीय पंचायत के निगरानी समिति के सदस्यों की देखरेख में किया जाता है, जिसकी पुष्टि वितरण के पश्चात् वितरण पंजी पर अंकित निगरानी समिति के सदस्यों के हस्ताक्षर से किया जा सकता है। अगस्त 2011 में भी कूपन पर अन्त्योदय का खाद्यान्न एव बी.पी.एल. का खाद्यान्न सरकार के द्वारा निर्धारित दर पर निर्धारित मात्रा में उपभोक्ताओं के बीच करके कूपन प्रखंड आपूर्ति कार्यालय, सोनपुर में जमा किया गया था। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अनुज्ञप्ति रद्द को पुनर्जीवित करने का अनुरोध किया गया।

सरकार का पक्ष रखते हुए विज्ञ विशेष लोक अभियोजक के द्वारा बतलाया गया कि विकेता पर जो आरोप लगाया गया है, वह अनुज्ञप्ति की शर्त्तों, विभागीय दिशा–निर्देशों के उल्लंघन का परिचायक है।

उभय पक्षों को सुना। अभिलेख में रक्षित कागजातों का परिसीलन किया गया।

परिसीलनोपरान्त मैं यह पाता हूँ कि विक्रेता के विरूद्व शिकायत करने वाले अधिकांश उपभोक्ताओं के द्वारा विक्रेता के पक्ष में शपथ पत्र दिया गया है। साथ ही कुछ उपभोक्ताओं के द्वारा विक्रेता से संबंधित नहीं होने का शपथ पत्र भी दिया गया है। विक्रेता के विरूद्व दबाव में आकर शिकायत करने एवं विक्रेता के द्वारा निर्धारित दर पर निर्धारित मात्रा में सामग्री का वितरण करने तथा उपभोक्ताओं के साथ सही व्यवहार करने से संबंधित शपथ पत्र दिया गया है। इस प्रकार विक्रेता के विरूद्व लगाए गए कोई भी आरोप सिद्व नहीं होता है। अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा पारित आदेश अपने आप में मुखर आदेश नहीं है। अतः अनुज्ञापन पदाधिकारी के प्रश्नगत आदेश को निरस्त करते हुए अपीलार्थी के अपील आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं संशोधित

जिला दंडाधिकारी,
सारण, छपरा

जिला दंडाधिकारी,
सारण, छपरा

ज्ञापांक 32 /न्या० /दिनांक 13/01/2015

प्रतिलिपि- SDO, सोनपुर को LCR मूल में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, एन० आई० सी०, सारण, छपरा को उक्त आदेश को इस जिले के website पर डालने हेतु प्रेषित।

13/1/15

वरीय उप समाहर्त्ता
प्रभारी जिला विधि शाखा
13/1/15 सारण, छपरा।